ALL INDIA FORUM AGAINST PRIVATISATION (AIFAP)

AN ATTACK ON ONE IS AN ATTACK ON ALL!

Website: https://aifap.org.in
Email: contact@aifap.org.in

WhatsApp Number:
+918454018757

28/10/2024

श्री के. वेणुगोपाल भट्ट को,
महासचिव,
ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर एसोसिएशन

सर्व हिंद निजीकरण विरोधी फोरम (AIFAP) आज गुवाहाटी में आयोजित ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर एसोसिएशन के पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत उपभोक्ता सम्मेलन को हार्दिक शुभकामनाएं देता है। हम बिजली क्षेत्र के निजीकरण और प्रीपेड स्मार्ट मीटर योजना की स्थापना के खिलाफ आपके संघर्ष का दिल से समर्थन करते हैं।

AIFAP ने 46 ट्रेड यूनियनों, किसान संगठनों और जन संगठनों के साथ मिलकर स्मार्ट मीटर का विरोध करते हुए एक पुस्तिका जारी की है। यह पुस्तिका पूरे भारत में बिजली, रेलवे, कोयला, रक्षा, इस्पात, बैंक, बीमा क्षेत्र और किसानों आदि के श्रमिकों के बीच वितरित की गई है और हमने इस सम्मेलन के लिए भी कुछ पुस्तिकाएँ भेजी हैं। AIFAP में बिजली, रेलवे, सड़क परिवहन, शिपिंग, कोयला, रक्षा, इस्पात, बैंक, बीमा, शिक्षक आदि के श्रमिकों और अधिकारियों के साथ-साथ जन संगठनों के लगभग 110 राष्ट्रीय महासंघ, यूनियन और एसोसिएशन शामिल हैं। हमारी वेबसाइट www.aifap.org पूरे भारत और विदेशों में लगभग 5 लाख दर्शकों तक पहुंच चुकी है।

प्रिय प्रतिनिधिगण,

स्मार्ट मीटर लगाना रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDSS) का हिस्सा है, जिसे जुलाई 2021 में केंद्र सरकार ने लॉन्च किया था और कोई भी राज्य सरकार केंद्र सरकार की योजना को रद्द नहीं कर सकती है।

RDSS का बजट 3 लाख करोड़ रुपये है। इस योजना के तहत कृषि उपभोक्ताओं के अलावा अन्य उपभोक्ताओं के लिए पूरे देश में 25 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए जाने हैं। इसका मतलब है कि 125 करोड़ से अधिक लोग इसके

दायरे में आएंगे। स्मार्ट मीटर के अलावा, RDSS बिजली वितरण क्षेत्र के उन्नयन को भी कवर करता है।

इसमें एक शर्त यह है कि स्मार्ट मीटर केवल सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से लगाए जाएंगे। योजना के तहत सरकारी स्वामित्व वाली डिस्कॉम (वितरण कंपनियां) अपने दम पर स्मार्ट मीटर नहीं लगा सकती हैं। केंद्र सरकार डिस्कॉम को प्रति स्मार्ट मीटर 900 रुपये और पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में प्रति स्मार्ट मीटर 1200 रुपये की रियायत देगी।

स्मार्ट मीटर जनविरोधी क्यों हैं?

सरकारें हम उपभोक्ताओं को यह बताने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं कि स्मार्ट मीटर लगाने से हमें लाभ होगा। हमारे लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि ये आश्वासन एकाधिकार पूंजीपतियों के इशारे पर फैलाए गए झूठ हैं, जो इनसे लाभ उठाने के लिए खड़े हैं। आज हमें एक महीने के बिलिंग चक्र के बाद बीस दिनों की अवधि के लिए अपने मासिक बिजली बिल पर क्रेडिट मिलता है। लेकिन, RDSS के तहत स्मार्ट मीटर प्रीपेड होंगे। इसका मतलब है कि हमें स्मार्ट मीटर को अपने सेलफोन की तरह "चार्ज" करना होगा, या दूसरे शब्दों में बिजली का उपयोग करने से पहले पूंजीवादी वितरण कंपनी को भुगतान करना होगा! इसका मतलब है कि हमारा बजट बिगड़ जाएगा, जबकि पूंजीपति को उपभोक्ताओं द्वारा दिए गए अग्रिम भुगतान के रूप में हजारों करोड़ ब्याज मुक्त धन प्राप्त होगा।

एक बार "चार्ज" खत्म हो जाने के बाद, बिजली को दूर से ही बंद कर दिया जाएगा। मीटर चार्ज करने के बाद भी, बिजली बहाल होने में कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक का समय लग सकता है। आस-पास कोई ऐसा नहीं होगा जिससे हम शिकायत कर सकें। अगर बिल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ भी हो तो भी वे इस बात पर जोर देंगे कि शिकायत पर गौर किए जाने से पहले भुगतान कर दिया जाए ताकि बिजली आपूर्ति बहाल हो सके। निजी वितरण कंपनियों से बिजली पाने वाले उपभोक्ताओं का यह अनुभव पहले से ही है।

केंद्र सरकार ने 2025 के अंत से टाइम ऑफ डे (ToD) टैरिफ सिस्टम लागू करने की योजना की घोषणा की है। ToD सिस्टम के तहत दिन के घंटों के दौरान बिजली की दर 10-20% कम और सूरज ढल जाने के बाद 10-20% अधिक होगी। इसे उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद बताकर व्यापक रूप से प्रचारित किया जा रहा है। दावा किया जाता है कि उपभोक्ता सस्ती होने पर बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं और महंगी होने पर परहेज कर सकते हैं।

यह तर्क पूरी तरह से फर्जी है, क्योंकि मांग अधिक होने पर दरें अधिक होंगी, जैसे आज ट्रेन या हवाई जहाज के टिकटों के मामले में होता है। उपभोक्ता काम पर जाने के बजाय घर पर बैठकर कैसे दोपहर के समय बिजली का उपयोग कर सकते हैं, जब बिजली शाम या रात के समय के मुकाबले सस्ती होती है? स्मार्ट मीटर के बिना ToD टैरिफ सिस्टम लागू नहीं किया जा सकता। स्मार्ट मीटर की मदद से कंपनी को जरूरत पड़ने पर दिन भर, घंटे दर घंटे अपनी बिजली दरों में बदलाव करने की सुविधा मिलेगी।

RDSS में सभी सब्सिडी बंद करने का प्रस्ताव है और अगर उपभोक्ताओं के किसी समूह को कोई सब्सिडी देनी है तो राज्य सरकार को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) सिस्टम के जरिए देनी होगी। इसका मतलब है कि हर उपभोक्ता को पहले बिजली आपूर्ति के लिए पूरी दर का भुगतान करना होगा। हम सभी जानते हैं कि गैस सिलेंडर के मामले में DBT सिस्टम कितना बड़ा धोखा था! यह मामला भी अलग नहीं होगा।

स्मार्ट मीटर कंपनी को चुपचाप टैरिफ बढ़ाने में सक्षम बनाएंगे। जहां ये लगाए गए हैं, वहां बिल पहले ही बढ़ गए हैं। उपभोक्ताओं को लगता है कि उन्होंने एक महीने के लिए जो भुगतान किया था, वह एक हफ्ते में खत्म हो रहा है! स्मार्ट मीटर की लाइफ सीमित होगी और निश्चित रूप से नए मीटर का बोझ उपभोक्ताओं पर पड़ेगा!

मीटर प्रीपेड होंगे या नहीं, यह बात अलग है। अगर वे शुरू में पोस्टपेड भी हैं, तो उन्हें एक साधारण कंप्यूटर कमांड से प्रीपेड में बदला जा सकता है!

सरकारें झूठ बोल रही हैं जब वे दावा करती हैं कि स्मार्ट मीटर मुफ्त होंगे। उन्हें बिजली शुल्क के माध्यम से किश्तो में वसूला जाएगा।

RDSS से किसे लाभ होगा?

हमारे देश में 60% से अधिक बिजली उत्पादन पहले से ही निजी हाथों में है और बिजली उत्पादन में शामिल टाटा, अडानी, गोयनका, जिंदल और टोरेंट जैसी बड़ी एकाधिकार कंपनियों के लिए यह बेहद आकर्षक है। ये बड़ी एकाधिकार कंपनियाँ बिजली वितरण को नियंत्रित करना चाहती हैं जो अब तक मुख्य रूप से राज्य के स्वामित्व वाली डिस्कॉम के हाथों में है। RDSS यह सुनिश्चित करेगा कि सरकार वितरण के उन्नयन के लिए (लोगों का) पैसा लगाए, जिसके बाद इसे निजी कंपनियों को थाली में परोस कर सौंप दिया जाएगा। RDSS यह भी सुनिश्चित करेगा कि बिजली की आपूर्ति के लिए उपभोक्ताओं पर कोई अतिदेय बिल न हो। इससे वितरण क्षेत्र टाटा, अडानी, टोरेंट, गोयनका, जिंदल

आदि के लिए वित्तीय रूप से बहुत आकर्षक हो जाएगा। **हमें इस सोच को चुनौती देनी चाहिए कि बिजली को मुनाफाखोरी का स्रोत होना चाहिए**। बिजली, परिवहन, पानी की आपूर्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता सेवाओं जैसी बुनियादी सेवाओं को लाभ का स्रोत नहीं माना जा सकता है!

सरकार सभी को सस्ती दरों पर बुनियादी सेवाएं सुनिश्चित करने की अपनी जिम्मेदारी छोड़ रही है। सरकार कर केवल इसलिए एकत्र करती है क्योंकि उसका कर्तव्य है कि वह सभी के लिए अच्छा जीवन सुनिश्चित करे। अप्रत्यक्ष कर सभी द्वारा चुकाए जाते हैं, चाहे वे कितने भी गरीब क्यों न हों। वे करों का सबसे बड़ा हिस्सा होते हैं।

स्मार्ट मीटरिंग योजना हमारे देश के कई लोगों को बिजली से वंचित कर देगी, जो आज एक बुनियादी आवश्यकता है। हम श्रमिकों और मेहनतकशों को ऐसी नीतियों पर जोर देना चाहिए जो यह सुनिश्चित करें कि देश का कोई भी नागरिक बिजली से वंचित न रहे।

हम निश्चित रूप से स्मार्ट मीटर लगाने को रोक सकते हैं, बशर्ते हम एकजुट होकर और मजबूती से लड़ें। "**बिजली एक बुनियादी आवश्यकता है और इसलिए इसे सभी नागरिकों को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। हम बिजली को लाभ के स्रोत के रूप में नहीं देखना चाहते**।" बिजली के निजीकरण और स्मार्ट मीटर लगाने के खिलाफ बिजली के आम उपभोक्ताओं को लामबंद करने की दृष्टि से आपका सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया हमें अपने सम्मेलन की रिपोर्ट भेजें, जिसे हम AIFAP वेबसाइट पर प्रकाशित कर सकते हैं।

ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर एसोसिएशन द्वारा आज गुवाहाटी में आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत उपभोक्ता सम्मेलन को हार्दिक सफलता की शुभकामना!!

उपभोक्ताओं, श्रमिकों और किसानों की एकता अमर रहे!
स्मार्ट मीटर मुर्दाबाद!
बिजली के निजीकरण का विरोध करें!

Dr. A. मेथ्यू
संयोजक
AIFAP
9833387137